उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 521 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017
देहरादून:: दिनांक ::29 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 54 की उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के क्रम में माल, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा, जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त पूर्ति से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से इनपुट पर कर की दर अधिक होने के कारण संचयित हुआ है, अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
2.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
3.	5208 to 5212	कपास के व्यूतित फैब्रिक
4.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
7.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्तित है
9.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टेंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
10.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेनें, बेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, डाकघर कोच

		भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)
13.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं
14.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल-स्टाक के पुर्जे बोगियां, बिसाल-बोगियां, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे
15.	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग; रेलों, ट्रामों, सड़कों, अन्तर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान-क्षेत्रों के यांत्रिक (जिसके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे

स्पष्टीकरण–

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसमें खंड और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण, जहां तक संभव हो, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 521/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.521/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 521/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 29 June, 2017
<u>Notification</u>

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to notify the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, heading, sub-heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in respect of which no refund of unutilised input tax credit shall be allowed, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on the output supplies of such goods (other than nil rated or fully exempt supplies).

TABLE

S. No.	**Tariff item, heading, sub-heading or Chapter**	**Description of Goods**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste
2.	5111 to 5113	Woven fabrics of wool or of animal hair
3.	5208 to 5212	Woven fabrics of cotton
4.	5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres, paper yarn
5.	5407, 5408	Woven fabrics of manmade textile materials
6.	5512 to 5516	Woven fabrics of manmade staple fibres
7.	60	Knitted or crocheted fabrics [All goods]
8.	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators
9.	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof
10.	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604
11.	8604	Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)
12	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage

		vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604)
13.	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled
14.	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock, such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof
15.	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Explanation. –

(1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Katuri)
Principal Secretary